विधान परिषद के प्रथम सत्र 2025 के द्वितीय शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, मा० सदस्य विधान परिषद द्वारा पूँछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–3 का उत्तरः–

प्रश्न		उत्तर
3 (क) क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री, बतायेंगे कि प्रदेश में वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों की कोई सेवा शर्ते, सेवा सुरक्षा, समयबद्ध वेतनमान एवं सेवा निवृत्ति के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा कोई सुविधा प्रदान की गयी है?		अशंकालिक अध्यापकों को प्रबन्धतंत्र अपने श्रोतो से परिलब्धियों का भुगतान करेगा और यह भुगतान सम्पूर्ण शिक्षण सत्र के लिये नियमित रुप से किया जायेगा, जिसका लेखा जोखा रखा जायेगा। अंशकालिक अध्यापकों की परिलब्धियाँ न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के उपबन्धों में कुशल श्रमिक हेतु मजदूरी की व्याख्या के अनुसार समय–समय पर जारी अधिसूचनाओं से निर्धारित मजदूरी से कम नहीं होंगी। प्रबन्धतंत्र ऐसे अंशकालिक अध्यापकों के लिये यथाविधि भविष्य निधि तथा जीवन बीमा की योजनाये लागू करेगा, जिनमें नियोजक का अंशदान प्रबन्धतंत्र द्वारा अपने निजी श्रोतों से दिया जायेगा।
(ख) यदि हाँ, तो क्या?		उक्तवत्।
(ग) माह अक्टूबर, 1986 से संचालित उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों को अधिवर्षता आयु पूरी करने के पश्चात् सेवा निवृत्ति के समय कोई धनराशि प्रदान की जाती है?		प्रबन्धतंत्र ऐसे अंशकालिक अध्यापकों के लिये यथाविधि भविष्य निधि तथा जीवन बीमा की योजनाये लागू करेंगा, जिनमें नियोजक का अंशदान प्रबन्धतंत्र द्वारा अपने निजी श्रोतों से दिये जाने की व्यवस्था है।
(घ) यदि हाँ, तो कितनी?		क्रम–क के अनुसार
(ड) यदि नहीं, तो क्यों?		प्रश्न ही नहीं उठता।

गुलाब देवी
मंत्री